भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 3047
जिसका उत्तर 16.12.2021 को दिया जाना है
सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण

3047. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री बी. वाई राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री तेजस्वी सूर्या:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार वैल्यू कैप्चर फाइनेंस मॉडल और भूमि मुद्रीकरण मॉडल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों और बाय-पास या रिंग रोड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;
(ग) इन दोनों मॉडलों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और
(घ) देश में विशेष रूप से कर्नाटक में इस उद्देश्य के लिए इन मॉडलों में भाग लेने के लिए आगे आने वाली कंपनियों/ संगठनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) वैल्यू कैप्चर फाइनेंस मॉडल केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और बाईपास या रिंग रोड के निर्माण के लिए भूमि अर्जन के लिए ही नियोजित नहीं है। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने दिनांक 18.03.2021के परिपत्र के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ परियोजना की लागत को साझा करने की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में वैल्यू कैप्चर फाइनेंस (वीसीएफ) मॉडल के संबंध में एक नीति जारी की है। वीसीएफ नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं/ ब्यौरा इस प्रकार हैं:

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा परियोजना सुविधा;

ii. भूमि के माध्यम से योगदान;

iii. रॉयल्टी/करों, आदि की छूट/वापसी करना।

iv. परियोजना प्रभाव क्षेत्र में भूमि के बढ़े हुए मूल्य को साझा करना;

v. परियोजना प्रभाव क्षेत्र में आवासीय/वाणिज्यिक रीयल एस्टेट के विकास की संभावना तलाशना, जिसके लिए राजमार्ग/सर्विस रोड से संपर्क एनएचएआई द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

इसके अलावा, सड़कों के मौद्रीकरण से उत्पन्न राजस्व का उपयोग विकास, रखरखाव, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के प्रबंधन, ऋण की अदायगी, आदि के लिए किया जाता है।

(घ) कर्नाटक सहित राज्य सरकारों का ब्यौरा, जो वीसीएफ मॉडल में भाग लेने के लिए सहमत हुए हैं, अनुबंध में हैं।

अनुबंध

सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन के संबंध में श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले एवं अन्य द्वारा पूछे गए दिनांक 16.12.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 3047 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य सरकार	**वीसीएफ सहायता**
कर्नाटक	कर्नाटक सरकार द्वारा जीएसटी / रॉयल्टी की छूट के बिना **30%** भूमि अर्जन (भूमि अर्जन) लागत हिस्सेदारी की सहमति प्राप्त हुई है**,** इस शर्त के अधीन कि "इस सड़क के विकास के बाद एकत्र किए गए पदकर राजस्व से राज्य के हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी"। एनएचएआई ने इस शर्त पर सहमति व्यक्त की

	है कि राज्य सरकार द्वारा **30%** राशि की प्रतिपूर्ति की मांग नहीं की गई है। कर्नाटक (जीओके) सरकार द्वारा सभी स्टैंडअलोन रिंग रोड / बाईपास के लिए **50%** भूमि अर्जन लागत की हिस्सेदारी। (एसटीआरआर**,** मैंगलोर**,** कुमता**,** तुमकुर बाईपास/रिंग रोड)। कर्नाटक सरकार से बेलागवी और तुमकुर बाईपास के लिए गुजरात सरकार के हिस्से के रूप में **140** करोड़ रुपये (**50%)** और **200** करोड़ रुपये (**25%)** की लागत वहन करने की सहमति प्राप्त हुई है। एनएचएआई ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जताई है, इस शर्त के अध्यधीन कि बेलगावी और तुमकुर बाईपास के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) और भूमि अर्जन की वास्तविक लागत का **50%** राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए।
केरल	एनएच**-66, 85, 966,** एसएच**-1** और सभी पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं के चौड़ीकरण के लिए **25%** भूमि अर्जन लागत को साझा करना। इसके अलावा **50%** भूमि अर्जन लागत तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड के लिए साझा की जाएगी।
तमिलनाडु	चेन्नई पोर्ट से मधुरावॉयल तक **4** लेन एलिवेटेड हाईवे। भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर के लिए **470** करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। **235** करोड़ रुपये की राशि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी और **235** करोड़ रुपये की राशि तमिलनाडु सरकार द्वारा साझा की जाएगी। इसके अलावा**,** भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर के अधिग्रहण की अन्य सभी अतिरिक्त लागत तमिलनाडु सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
पंजाब	लाडोवाल बाईपास**,** लुधियाना के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत का **50%**।
मध्यप्रदेश	राज्य सरकार चंबल एक्सप्रेसवे - **309** किमी के लिए **292** हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करवाती है। राजमार्ग के निर्माण के लिए मुर्रम और मृदा की रॉयल्टी पर छूट। मध्य प्रदेश राज्य में एनएचएआई परियोजनाओं के उपयोगिता स्थानांतरण कार्यों के लिए किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है। सेंटेज **11.5%** के बजाय **7.5%** करना है।
हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार पिंजौर बद्दी नालागढ़ परियोजना के हिमाचल खंड के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन लागत (**15.19** करोड़ रुपये) वहन करेगी।
उत्तर प्रदेश	मिट्टी पर **2.5%** कर माफ किया गया और सीमेंट**,** स्टील आदि सामग्री पर जीएसटी और कुल पर रॉयल्टी माफ करने पर आगे की चर्चा चल रही है।
डीडीए,दिल्ली	यूईआर-**II (**एनएच**-344**एम**,** एनएच**-344**पी और एनएच**-344**एन**)** के लिए **3600** करोड़ रुपये का वित्त पोषण। तदनुसार**,** एनएचएआई और डीडीए द्वारा वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
बिहार	पटना रिंग रोड फेज- **I (**लगभग लंबाई **60** किलोमीटर**)** के निर्माण के लिए भूमि अर्जन की **100%** लागत।
तेलंगाना	राज्य सरकार द्वारा हैदराबाद शहर के आसपास प्रस्तावित क्षेत्रीय रिंग रोड के लिए भूमि अर्जन और निर्माण पूर्व लागत का **50%** वहन करना।
उड़ीसा	भुवनेश्वर कटक बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत का **50%**

*****